

राजस्थान सरकार  
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी-3/ए-ए, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर  
क्रमांक : एफ 16(1)( )/नि.वियो./दि.अधि. अधि. 18/2019/ 10082 जयपुर, दिनांक 30/10/19

प्रेस विज्ञप्ति

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा 79 की पालना में राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2019 की धारा 23 से 27 के अन्तर्गत राज्य में आयुक्त (विशेष योग्यजन) नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पद हेतु निम्नलिखित योग्यताएं/पात्रताएं निर्धारित हैं :-

1. विशेष योग्यजन के क्षेत्र में पुनर्वास से संबंधित कार्य का 10 वर्ष का अनुभव हो।
2. आवेदक की अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।
3. आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हो तो नियुक्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति लेना अनिवार्य है।
4. शैक्षिक योग्यता :-

- (1) आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक हो।
- (2) वांछनीय : सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र/कानून/प्रबन्ध/मानव अधिकार/पुनर्वास/विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में डिप्लोमा/डिग्री धारक हो।

आवेदन विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन में निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जी-3/1-ए, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर के पते पर भिजवाये जाये। उक्त पद हेतु आवेदन किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्रक्रिया एवं अन्य शर्तों संबंधी विस्तृत विवरण निदेशालय विशेष योग्यजन की बेवसाईट <http://dsap.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

(शुचितायागी)  
निदेशक

एवं संयुक्त शासन सचिव

## राज्य आयुक्त (विशेष योग्यजन) हेतु आवेदन पत्र

आवेदक द्वारा  
स्वप्रमाणित  
फोटो

1.	आवेदक का पूरा नाम			
	हिन्दी में			
	अंग्रेजी में (ब्लॉक लेटर्स)			
2.	पिता का नाम			
3.	माता का नाम			
4.	आवेदक की जन्म तिथि (आवेदन के वर्ष में आवेदक की आयु 01 जनवरी को 65 वर्ष से अधिक न हो) (आयु प्रमाण हेतु 10वीं की अंक तालिका संलग्न करें)			
5.	आवेदक की श्रेणी (सामान्य/विशेष योग्यजन)			
6.	आवेदक की जाति (सामान्य/ओ.बी.सी./एस.बी.सी./अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य)			
7.	नागरिकता			
8.	धर्म			
9.	वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/परित्यक्ता/विधुर/विधवा/पुनर्विवाह)			
	पति/पत्नी का नाम			
	विवाह तिथि			
	विवाह पंजीयन क्रमांक			
10.	संतान का विवरण			
	जीवित पुत्र/पुत्री का नाम			
	जन्म तिथि			
	कुल संतान संख्या (01.06.2000 से पूर्व एवं पश्चात)			
11.	पत्र व्यवहार का पता (मय फोन/मोबाईल नं.)			
12.	स्थायी निवास का पूर्ण पता			
13.	(अ) शैक्षणिक योग्यता			
	परीक्षा जो उत्तीर्ण की गई है	प्राप्तांक/कुल अंक	प्राप्तांकों का प्रतिशत	वर्ष
	मैट्रिक/सैकेण्डरी			
	हायर सैकेण्डरी/ सीनियर सैकेण्डरी			
	स्नातक			
	स्नातकोत्तर			
	(ब) वांछनीय योग्यता			

14.	अतिरिक्त विस्तृत सूचना (सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य करने की स्थिति में कार्य/कार्यरत है तो निम्नानुसार विवरण अंकित करें :-)					
	पद का नाम	नियुक्ति अधिकारी का पदनाम एवं विभाग	पद ग्रहण करने की दिनांक	पद छोड़ने की दिनांक	स्थायी/अस्थायी	वेतनमान
15.	यदि आप अन्य कोई विशेष योग्यता/अनुभव/पुरस्कार/पदक/ विजय चिन्ह प्राप्त किये हो, जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, तो पूर्ण विवरण दें।					
16.	यदि आपने विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया हो तो विवरण संलग्न करें।					
17.	विशेष योग्यजन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित विशेष योग्यता एवं व्यवहारिक अनुभव					
18.	यदि केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन सेवा में है तो पद पर नियुक्ति से पहले ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति लेना अनिवार्य है (विवरण प्रस्तुत करें)					
19.	आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण हो तो उल्लेख करें।					
20.	अनुभव निम्नलिखित तीनों में से कोई एक व बिन्दु संख्या-4 अनिवार्य :- 1. केन्द्र/राज्य सरकार में राजपत्र अधिकारी के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। 2. कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव का शपथ पत्र (सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ स्वायत्तशापी निकाय) 3. राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं में विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव। 4. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं में उल्लेखित कुल 10 वर्षों के अनुभव में से कम से कम वर्तमान के तीन वर्षों का विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव।					अनुभव अवधि (साक्ष्य संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

:- आवेदक द्वारा शपथयुक्त घोषणा :-

मैं एतद् द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टिया व संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सम्पूर्ण है। मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है यदि इस आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना झूठी/गलत पाई जाये तो राज्य सरकार मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है। मैंने राज्य सरकार के उपबंधों/नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इसका पालन करने हेतु वचनबद्ध हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर